


समयत्र जगते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937

No. 596]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 740(अ).—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 9 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 275(अ) तारीख 9 अप्रैल, 2015 कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015, के हिन्दी पाठ में पृष्ठ (2) पर स्तम्भ संख्या 11 की प्रविष्टि के प्रथम पंरे के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें:—

“प्रोन्नति :

वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 6600 रुपये में ऐसे ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर और ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर, जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के संचालन या मरम्मत या रख-रखाव या बनावट विकास, उत्पादन, प्रशिक्षण और परीक्षण के क्षेत्र में सफलतापूर्वक चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।”

[फा. सं. 13-1/2015 – एम एवं टी (प्रशा)]

एस. आर. राजा, अवर सचिव